ए. पी. महेश सहकारी शहरी

बैंक शेयर धारक, कल्याण एसोसिएशन

बनाम

रमेश कुमार बंग एवं अन्य,

निर्णय की तिथि- 20 जुलाई 2021

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या- 3869 वर्ष 2021

उच्च न्यायालय हैदराबाद में आपराधिक आवेदन संख्या 2371/ 201 के अंतरिम आवेदन संख्या 1/ 2021 के दिनांक 27. 4. 2021 के निर्णय एवं आदेश से,

साथ में,

विशेष अनुमति (आपराधिक) संख्या 3875/ 2021

अपीलकर्ता की ओर से- दिलजीत सिंह अहलूवालिया, मलक मनीष भट्ट, श्रीमति नीहा नागपाल, एच. राजेश, अंगद अहलूवालिया अधिवक्तागण

प्रत्यर्थी की ओर से- सिद्धार्थ लूथरा, एस. निरंजन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता रावी वेंकट, योगेश, आसिफ अहमद, श्रीमति स्निग्धा सिंह, विष्णु तेल्लप्रागड अधिवक्तागण

वी. रामसुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति

1. दो अंतर्वर्ती आवेदनों में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सभी हस्ताक्षर सत्यापित नहीं किए गए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 (यहां पर), की गिरफ्तारी सहित आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। यहां (उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता), हैदराबाद के बनजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के 2021 के अपराध संख्या 218 और 222 में आपराधिक शिकायतों को रद्द करने के लिए दो मुख्य याचिकाएं लंबित हैं, वास्तविक शिकायतकर्ता इन विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ आया है।

2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलजीत सिंह अहलूवालिया और प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा और श्री निरंजन रेड्डी को सुना है।

3. याचिकाकर्ता ने यहां 19.02.2021 के प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 (यहां पर) के खिलाफ हैदराबाद में तृतीय अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की फाइल पर दो शिकायतें दर्ज कीं। विद्वान मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें पुलिस को मामले दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया गया, जिसके अनुसार पुलिस ने अपराध संख्या में दो प्रथम सूचना प्रतिवेदन (संक्षेप में एफआईआर) अपराध संख्या 218 एवं 222/2021 क्रमशः 12.03.2021 एंव 13.03.2021 को दर्ज किया।

4. यहां प्रत्यर्थीगण 1 से 3 एवं दोनों परिवाद में अभियुक्त थे जो क्रमशः (i) वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, (ii) प्रबंध निदेशक और सीईओ और (iii) वर्तमान में एपी महेश सहकारी शहरी बैंक के उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष थे। याचिकाकर्ता द्वारा यहां प्रत्यर्थी 1 से 3 के खिलाफ शिकायत की गई अपराध धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 477 ए के साथ 120 बी आईपीसी के तहत थे। इस स्तर पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें शामिल सहकारी बैंक वास्तव में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 द्वारा शासित एक बहु राज्य सहकारी समिति है।

5. शिकायतों के पंजीकरण के तुरंत बाद, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 ने आपराधिक शिकायतों को रद्द करने की मांग करते हुए संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक याचिका संख्या 2370 और 2371/2021 में दो याचिकाएं प्रस्तुत किया। आपराधिक शिकायतों के निपटाने तक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने प्राथमिकी संख्या 218 और 222/2021 में उनकी गिरफ्तारी सहित आगे की सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग किये।

6. 2021 के अंतरिम आवेदन संख्या 1 और 1 में स्थगन के आवेदनों का याचिकाकर्ता द्वारा जोरदार विरोध किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता को रद्द याचिकाओं में दूसरे प्रत्यर्थी के रूप में रखा गया था।

7. यहां प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 (आरोपी व्यक्ति) और याचिकाकर्ता (वास्तव में शिकायतकर्ता) को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने 27.04.2021 को एक तर्कसंगत आदेश पारित किया और दोनों शिकायतों में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह उक्त आदेश के विरूद्ध है कि याचिकाकर्ता उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका लेकर आया है।

8. संक्षेप में और मोटे तौर पर, शिकायतों में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण इस प्रकार हैः

(i) जहां दो शिकायतों में से एक 'ऋण धोखाधड़ी' से संबंधित है, वहीं दूसरी 'मतदाता धोखाधड़ी' से संबंधित है।

(ii) सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का कार्यकाल अप्रैल, 2020 में समाप्त हो गया और मार्च, 2020 में शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया 20.12.2020 को चुनाव कराने के साथ समाप्त हुई।

(iii) चुनावों को लेकर भारी कटुता थी, जिसके कारण चुनावों के आयोजन से पहले और बाद में कई रिट याचिकाएं दायर की गई।

(iv) चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने या समर्थन करने वाली रिट याचिकाओं में भी 'ऋण धोखाधड़ी' और 'मतदाता धोखाधड़ी' से संबंधित आरोपों का एक ही समय होना पाया गया था।

(v) रिट याचिकाओं के उक्त समूह में, उसी उच्च न्यायालय के एक अन्य विद्वान न्यायाधीश ने 08.01.2021 को एक सामान्य आदेश पारित किया था, जिसमें चुनाव के परिणाम घोषित करने और नव निर्वाचित बोर्ड को कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया था। नवनिर्वाचित निदेशक अगले आदेश तक नीतिगत निर्णय नहीं लेंगें।

(vi) मार्च, 2021 में प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही पुलिस ने बैंक के प्रबंधक को द. प्र. संहिता की धारा 91 के तहत एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे एक विशेष अवधि के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के लिए कहा गया था, जो स्पष्ट रूप से विधि के शासनादेश का उल्लंघन था।

(vii) कि 'ऋण धोखाधड़ी' और 'मतदाता धोखाधड़ी' के आरोप रिट याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों से जुड़े हुए हैं और इसलिए आपराधिक शिकायतों में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है।

9. विद्वान न्यायाधीश के उक्त आदेश को आक्रमण करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अहलूवालिया ने प्रतिवाद किया।

(i) उच्च न्यायालय को आगे की कार्यवाही पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी, जब शिकायतों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, विशेष रूप से निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य [(2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315] और स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया प्रा. लिमिटेड बनाम उ. प्र. राज्य [(2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 988] के मामले में विधि के रूप में अभिनिर्धारित किया गया।

(ii) यह कि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से मोहम्मद मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के विपरीत है। अलाउद्दीन खान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [(2019) 6 एससीसी 107] और के जगदीश बनाम उदय कुमार जीएस [(2020) 14 एससीसी 552] में मतदाता धोखाधड़ी से संबंधित सिविल रिट याचिकाओं की लंबितता को आपराधिक शिकायतों पर कोई असर डालने वाला माना गया है और

(iii) उच्च न्यायालय सोचने में गलती कर रहा था कि कुछ आरोप बहुराज्य धारा 84 के तहत विवाचन योग्य विवादों से संबंधित थे और ऐसा दृष्टिकोण एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 13 में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अहलूवालिया ने हमें रिट याचिकाओं में दलीलों, रिट याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेश, पुलिस के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक को की गई विभिन्न शिकायतों सहित सभी दस्तावेजों के बारे में बताया और किस तरह से राज्य ने उन शिकायतों का इलाज किया। उन्होंने निहारिका (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णयों के विभिन्न अंशों पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया और एक भावुक अपील की कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक को रद्द नहीं किया गया तो निश्चित रूप से स्वर्ग गिर जाएगा।

11. जवाब में, मेसर्स सिद्धार्थ लुथरा और निरंजन रेड्डी, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दियाः

(i) कि आम तौर पर यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब मुख्य मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो,

(ii) निहारिका (उपरोक्त) में जिस बात को अपवाद माना गया है, वह अदालतों की सहज आदेश पारित करने की प्रवृत्ति है, न कि जबरदस्ती कदम उठाने की और वह भी बिना कोई कारण बतायेः और

(iii) इस मामले में उच्च न्यायालय के पास स्थगन देने के लिए एक से अधिक उचित कारण थे और ऐसे कारण विद्वान न्यायाधीश द्वारा भी दर्ज किए गए है और चुनाव के समय आपराधिक शिकायतों को थोपने की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जा सकता है। जब भी अभियोजन की शुरूआत को चुनौती अदालतों में दी जाती है।

12. हमने प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और दलीलों और दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है। इससे पहले कि हम प्रतिद्वंदी दलीलों पर विचार करें, प्राथमिकी दर्ज करने से पहले की घटनाओं के अनुक्रम पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वे आपराधिक कानून के पहले सिद्धांत पर कुछ प्रकाश डालते है कि ''गवाह झूठ बोल सकते है, लेकिन परिस्थितयां नहीं।'' क्रम इस प्रकार हैः-

(i) सहकारी बैंक पूर्ववर्ती निदेशक मंडल का कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त होना था और इसलिए फरवरी, 2020 में एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था। 18.03.2020 को एक चुनाव अधिसूचना जारी की गई थी लेकिन बाद में इसे कोविड 19 का प्रकोप के कारण वापस ले लिया गया।

(ii) अंतिम मतदाता सूची 17.11.2020 को जारी की गई और उसके बाद 24.11.2020 को नई चुनाव अधिसूचना जारी की गई।

(iii) यह पहला प्रत्यर्थी वरिष्ठ उपाध्यक्ष था और तीसरा प्रत्यर्थी पूर्ववर्ती निदेशक मंडल में अध्यक्ष था। दूसरा प्रत्यर्थी प्रबंध निदेशक और सीईओ था।

(iv) चुनाव अधिसूचना दिनांक 24.11.2020 जारी होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने 2020 के डब्ल्यू. पी. संख्या 21795 में 30.11.2020 को एक रिट याचिका दायर की, जिसमें यह घोषणा करने की प्रार्थना की गई की फर्जी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव का प्रस्तावित आयोजन दिनांक 17.11.2020 तत्कालिन निदेशक मंडल द्वारा की गई अवैधदाताओं के कारण

अवैध था और बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के साथ साथ बैंकिंग विनियम अधिनियम के कुछ प्रावधानों के विपरित था। 2020 की अपनी रिट याचिका संख्या 21795 को लंबित रखते हुए, याचिकाकर्ता ने क्रमशः 2020 के अंतरिम आवेदन संख्या 1 और 2 में दो अंतरिम राहत की मांग की।

(i) पुलिस/जांच एजेंसियों की मदद से गहन जांच करना और दोषियों को कानून के सामने लाना और (ii) फर्जी मतदाता सूची के संचालन पर रोक।

(v) यद्यपि उपरोक्त रिट याचिका 30.11.2020 को दायर की गई थी, चुनाव 20.11.2020 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुए थे। वोटों की गिनती 21.12.2020 को शुरू हुई, लेकिन आधे रास्ते में रिटेर्निंग ऑफिसर ने वोटो की गिनती रोकने का फैसला किया, ऐसे कारणों से जो अब समझ में नहीं आ रहे है और किसी भी मामले में वर्तमान विवाद के लिए आवश्यक नहीं है।

(vi) इसलिए, यह प्रथम प्रत्यर्थी सहित कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ और रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गई। उन रिट याचिकाओं का ब्योरा निम्नलिखित है-

रिट याचिका संख्या	के द्वारा प्रस्तुत	की गई प्रार्थना
23849/2020	श्री निवास असावा	वोटो की गिनती की प्रक्रिया को रोकने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की कार्यवाही को चुनौती दी गई और परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई।
23853/2020	रमेश कुमार बंग (प्रथम आर आर)	तथैव
23869/2020	श्रीकांत इनानी	तथैव
23976/2020	शालीग्राम धूत एवं माला धूत	मनमाने तरीके से चुनाव कराने पर रिटर्निंग ऑफिसर की कार्रवाई को चुनौती देते हुए नये सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई है।

(vii) उपरोक्त सभी रिट याचिकाओं में अंतरिम राहत की प्रार्थना करने वाले आवेदनों को उच्च न्यायालय के एक अन्य विद्वान न्यायाधीश द्वारा एक साथ लिया गया था । विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, विद्वान न्यायाधीश उन रिट याचिकाओं में सभी अंतरिम आवेदनों में दिनांक 08.01.2021 को एक सामान्य आदेश पारित किया। उक्त आदेश का प्रभावी भाग इस प्रकार है :-

(i) डब्ल्यू. पी. संख्या 23853 में अंतरिम आवेदन संख्या 1/2020, डब्ल्यू. पी. संख्या 23869 में अंतरिम आवेदन संख्या 1/2020 और डब्ल्यू. पी. संख्या 23849 में अंतरिम आवेदन संख्या 1/2020 का आदेश दिया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर को 20.12.2020 को हुए चुनाव के परिणाम की घोषणा करने का निर्देश दिया जाता है।

(ii) डब्ल्यू. पी. संख्या 21795/2020 में अंतरिम आवेदन संख्या 1/2020 में, नोटिस जारी करें, जो 02.02.2020 तक वापस किया जा सके।

(iii) डब्ल्यू. पी. संख्या 21795 में अंतरिम आवेदन संख्या 2/2020 दिनांक 17.11.2020 की फर्जी मतदाता सूची के संचालन पर रोक लगाने की प्रार्थना करते हुए दायर किया गया है। उपर बताये गये कारणों से, याचिकाकर्ता डब्ल्यू. पी. संख्या 21795 में अंतरिम आवेदन संख्या 2/2020 में मांगी गई राहत का हकदार नहीं है, जिसे खारिज कर दिया गया है।

(iv) डब्ल्यू. पी. संख्या 23976 में अंतरिम आवेदन संख्या 1/2020 के याचिकाकर्ता चुनाव के नतीजों की घोषणा को निलंबित करने की प्रार्थना कर रहे है। उपर बताये गये कारणों से, याचिकाकर्ता अंतरिम आवेदन में मांगी गई राहत के हकदार नहीं है तथा इसे खारिज कर दिया गया है।

(v) डब्ल्यू. पी. संख्या 23976/2020 में अंतरिम आवेदन संख्या 2/2020, चौथे प्रत्यर्थी बैंक को निर्देशकों के पदों पर फिर से चुनाव कराने का निर्देश देने के लिए दायर किया गया है। जब तक न्यायालय यह मानता कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गई चुनाव प्रक्रिया दूषित है, न्यायालय पुनः चुनाव का निर्देश नहीं दे सकता। इसलिए, इस अंतर्वर्ती आवेदन में मांगी गई प्रार्थना इस स्तर पर स्वीकार नहीं की जा सकती। डब्ल्यू. पी. संख्या 23976/2020 में अंतरिम आवेदन संख्या 2/2020 को खारिज कर दिया गया है।

(vi) अगले आदेश तक, नवनिर्वाचित निदेशकों को निर्देश दिया जाता है कि वे सोसायटी और बैंक के मामले को प्रभावित करने वाले नितिगत निर्णय न ले, जिसमें सोसायटी और बैंक की रोजमर्रा की जरूरतां को पूरा करने के अलावा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान सोसायटी के फंड से निपटना भी शामिल है।

(viii) नवनिर्वाचित निदेशकों को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से रोकने वाले दिनांक 08.01.2021 के सामान्य आदेश के एक हिस्से को चुनौती देते हुए बैंक का प्रबंधन रिट याचिकाएं संख्या 2021 के 21 और 22 दिनांक 09.02.2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी। प्रभाग पीठ ने 21.01.2021 के एक आदेश द्वारा रिट अपीलों का निपटारा किया, जिससे बैंक के प्रबंधन को आवश्यक स्पष्टीकरण मांगने वाले विद्वान न्यायाधीश के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करने का अवसर मिला।

(ix) डिवीजन बेंच के पूर्वोक्त आदेश के अनुसार, दूसरे प्रत्यर्थी ने स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दायर किया, लेकिन बाद में इसे वापस लेने का फैसला किया।

(x) 02.01.2021 और 03.01.2021 को, (विद्वान न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं में सामान्य अंतरिम आदेश पारित करने से कुछ दिन पहले), याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने डाक द्वारा पुलिस को एक शिकायत भेजने का दावा किया है।

(xi) इसके बाद 22.01.2021 को, याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर डाक द्वारा भेजी गई शिकायतों पर पुलिस की ओर से निष्क्रियता के संबंध में एक याचिका माननीय कृषि, विपणन और सहकारिता मंत्री, तेलंगाना सरकार को 02.01.2021 और 03.01.2021 को दी। याचिकाकर्ता द्वारा यहां दी गई याचिका पर, माननीय मंत्री ने 22.01.2021 को पुलिस आयुक्त को निम्नलिखित निर्देश जारी कियाः ''वे शिकायतें संलग्न हैं जिनमें संज्ञेय अपराध करने के गंभीर आरोप लगाए गए है। कृपया दोनों प्राथमिकी दर्ज करवाकर तत्काल जांच कराई जाए। प्राथमिकी की प्रतियां दो दिनों के भीतर सरकार को भेज दी जाएं।''

(xii) 03.02.2021 को, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य और अंतरिम प्रार्थनाओं के साथ 2021 के डब्ल्यू. पी. संख्या 2724 में एक नई रिट याचिका दायर की :

मुख्य प्रार्थनाः-

उपरोक्त असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, यह माननीय न्यायालय परमादेश की एक रिट या परमादेश की प्रकृति के बारे में आदेशों/निर्देशों को पारित करने में प्रसन्न हो सकता है :

(i) प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रत्यर्थी 5 बैंक के निदेशक मंडल को निलंबित करने और एक प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश देना (जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को पत्र संख्या 6392/सीओओपीआई/ए 2/2020 दिनांक 23.12.20 के माध्यम से भी सिफारिश की गई है) अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 7 और प्रत्यर्थी संख्या 8 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 6 के साथ साजिश रचकर बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी, धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी और अभिलेखों में जालसाजी के गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, जो कृत्य गंभीर हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 2002 और प्रत्यर्थी संख्या 5 के उपनियमों के विपरीत, सोसायटी और उसके सदस्यों दोनों के हितों के लिए प्रतिकूल, जिसके लिए संज्ञेय अपराध प्रत्यर्थी संख्या 4 ने पुलिस आयुक्त, हैदराबाद को दर्ज करने का निर्देश दिया है दो प्राथमिकी दर्ज कर तुरंत जांच करने का निर्देश दिया है।

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 3 को बैंक का फॉरेंसिक ऑडिट करने का निर्देश देना, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के पत्र संख्या 6392 /सीओओपीआई/ए 2/2020 दिनांक 23.12.2020 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को अनुशंसित किया गया है तथा जिसे प्रत्यर्थी क्रमांक 2 से प्रत्यर्थी क्रमांक 3 तक आगे के लिए सूचित किया गया है।

(iii) प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रत्यर्थी संख्या 5 बैंक के एमडी और सीईओ पद से हटाने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देश देना, क्योंकि उसके खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी, धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी, रिकॉर्ड में जालसाजी के गंभीर आरोप हैं। प्रत्यर्थी संख्या 5 बैंक का प्रत्यर्थी संख्या 7 और 8 के साथ साजिश में किया गया।

(iv) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बैंक के हजारों छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उचित और उचित समझे जाने वाले अन्य आदेश/निर्देश पारित करें।

अंतरिम प्रार्थनाएं उपर बताए गए कारणों के लिए, रिट याचिका के लंबित निपटान के लिए याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि यह माननीय न्यायालय, उपरोक्त असाधारण तथ्यों और परिस्थितयों के प्रकाश में, कृपापूर्वक प्रसन्न हो सकता है :

(i) प्रत्यर्थी संख्या 5 बैंक के निदेशक मंडल को अंतरिम रूप से निलंबित करें, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान या प्रत्यर्थी संख्या 2 के अभ्यावेदन पर कार्रवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 5 के प्रशासक के रूप में एक सेवानिवृत सुप्रीम कोर्ट/ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करें। संख्या 6392/सीओओपीआई/ए 2/2020 दिनांक 23.12.20 प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को अग्रेषित या याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व दिनांक 17.01.21 प्रत्यर्थी संख्या 3 को, जो भी पहले हो, ताकि उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। बैंक और याचिकाकर्ता संघ के छोटे जमाकर्ताओं के हितों को अपूरणीय क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी, धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी, रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, 6 प्रत्यर्थी संख्या 7 और प्रत्यर्थी संख्या 8 के साथ साजिश में जो गंभीर धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध पुलिस जांच के अधीन है या वैकल्पिक रूप से प्रत्यर्थी संख्या 6 को निलंबित करें और किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक के सेवानिवृत प्रबंध निदेशक को प्रत्यर्थी संख्या 5 बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करें, जब तक कि प्रत्यर्थी संख्या 2 याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व दिनांक 17.01.2021 पर कार्रवाई न कर दे या इस याचिका के लंबित रहने के दौरान जो भी पहले हो और

(ii) अगले आदेश तक नवनिर्वाचित निदेशकों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे सोसायटी और बैंक के मामलों को प्रभावित करने वाले कोई भी नीतिगत निर्णय न लें, जिसमें सोसायटी की दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के अलावा सोसायटी के फंड से निपटना भी शामिल है। बैंक और कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान, जैसा कि पहले ही इस माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 21795/2020 में दिनांक 08.01.2021 के आदेश के तहत निर्देशित किया गया है, जो कि विचाराधीन है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बैंक के हजारों छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उचित और समझे जाने वाले अन्य आदेश/निर्देश पारित करें।

(xiii) 05.02.2021 को उच्च न्यायालय ने 2021 के डब्ल्यू. पी. संख्या 2724 में प्रवेश से पहले नोटिस का आदेश दिया लेकिन कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया।

(xiv) संयोग से या अन्यथा, सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार जिन्हें चुनाव के संचालन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नामित किया गया था, को भी उसी दिन यानी 03.02.2021 को चार्ज मेमो जारी किया गया था। जिस पर याचिकाकर्ता ने 2021 के डब्ल्यू. पी. संख्या

2725 में अपनी दूसरी रिट याचिका दायर की। यह तर्क देते हुए कि चार्ज मेमो कुछ असंतुष्ट तत्वों की करतूत का उत्पाद था, रिटर्निंग ऑफिसर ने 2021 के डब्ल्यू. पी. संख्या 3679 में एक रिट याचिका दायर की। 22.02.2021 को उच्च न्यायालय ने चार्ज मेमो के अनुसार आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

(xv) इस बीच, याचिकाकर्ता ने 19.02.2021 को तृतीय अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की फाइल पर दो शिकायतें दर्ज की, उनमें से एक ऋण देने के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमती है और दूसरी मतदाता धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों के इर्द-गिर्द घूमती है।

(xvi) विद्वान मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आदेश पारित किया, जिसके अनुसार पुलिस ने 12.03.2021 को 2021 की संख्या 218 और 13.03.2021 की संख्या 222 प्राथमिकी दर्ज की।

(xvii) इन दो शिकायतों को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने 2021 की आपराधिक याचिका संख्या 2370 और 2371 दायर की। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 याचिकाकर्ता को उन रद्द याचिकाओं में दूसरे प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, विद्वान न्यायाधीश ने लंबित रद्दीकरण याचिकाओं पर अंतरिम रोक की याचिकाओं पर दलीलें सुनीं और 23.03.2021 को आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है कि इसके बाद उन्होंने 01.04.2021 को आपराधिक याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दायर किया। याचिकाकर्ता द्वारा आगे दावा किया गया है कि इसके बाद उन्होंने 15.04.2021 को एक ज्ञापन भी दायर किया जिसमें निहारिका (सुप्रा) दिनांक 13.04.2021 में इस न्यायालय के फेसले की एक प्रति संलग्न की गई थी। हालांकि, विद्वान न्यायाधीश ने 27.04.2021 को दोनों रद्द याचिकाओं में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए एक सामान्य आदेश पारित किया। इसलिए याचिकाकर्ता उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका लेकर आया है।

13. घटनाओं के उपरोक्त अनुक्रम से पता चलता है कि याचिकाकर्ता, जिसे केवल वर्ष 2019 में एक एसोसिएशन के रूप में पंजीकृत किया गया था (2020 के डब्ल्यू पी संख्या 21795 के कंडिका 2 में दिए गए कथनों के अनुसार), ने अपना पहला हमला प्रस्तावित चुनाव के खिलाफ 30.11.2020 को एक रिट याचिका दायर करके किया था। रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव में आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई भी अंतरिम आदेश प्राप्त करने में विफल रहने के बाद याचिकाकर्ता ने 02.01.2021 और 03.01.2021 को डाक द्वारा पुलिस शिकायतें भेजकर,

फिर माननीय मंत्री से संपर्क करके और एक बहुआयामी हमला किया। 22.01.2021 को पुलिस आयुक्त को उनका निर्देश, उसके बाद नवनिर्वाचित बोर्ड का कार्यभार संभालने से रोकने के लिए 2021 की रिट याचिका संख्या 2724 में चुनाव के बाद रिट याचिका दायर करना और फिर 19.02.2021 को तृतीय अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायतें दर्ज करना और संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आदेश प्राप्त करना जिससे प्राथमिकी शिकायत दर्ज करना और संहिता की धारा 156(3) के तहत आदेश प्राप्त करना जिससे प्राथमिकी दर्ज की जा सके। याचिकाकर्ता एसोसिएशन द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में 2016-2019 और 2020 की अवधि से संबंधित आरोप शामिल थे, हालांकि एसोसिएशन स्वयं 2019 में ही पंजीकृत हुई थी।

14. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन, जो 2019 में ही प्रासंगिक कानून के तहत एक एसोसिएशन के रूप में खुद को पंजीकृत करके कानूनी रूप से अस्तित्व में आई थी, केवल चुनाव और चेयरमैन एमेरिटस के पद के निर्माण से संबंधित शिकायत के साथ शुरू हुई थी। शुरू में ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने फरवरी, 2020 में 2020 के डब्ल्यू. पी. संख्या 3687 में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें यह आशंका व्यक्त की गई थी कि चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं कराए जाएंगे। लेकिन उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने 20.02.2020 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने 2020 के डब्ल्यू. ए. संख्या 154 में एक रिट अपील दायर की, जिसे लंबित बताया गया है।

15. याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका डब्ल्यू. पी. संख्या 21795, 2020 के कंडिका 3 में उपरोक्त रिट अपील डब्ल्यूए संख्या 153, 2020 का संदर्भ दिया है, जो उनके अनुसार, केवल एक चुनावी विवाद से संबंधित है।

16. इसी तरह, याचिकाकर्ता ने 2020 के डब्ल्यू. पी. संख्या 21795 में अपनी रिट याचिका के कंडिका 3 में 2020 के डब्ल्यू. ए. संख्या 141 में एक अन्य रिट अपील का संदर्भ दिया है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन के अनुसार, यह प्रथम प्रत्यर्थी पर मानद अध्यक्ष का शीर्षक प्रदान करने से संबंधित इस रिट अपील से संबंधित पृष्ठभूमि तथ्यों का याचिकाकर्ता द्वारा अपनी रिट याचिका में पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया है।

17. इसलिए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने पहले प्रत्यर्थी को मानद अध्यक्ष की उपाधि प्रदान करने के खिलाफ विवाद शुरू किया और फिर उन्होंने प्रस्तावित चुनावों के संबंध में मुद्दे उठाए। यह मुद्दा सबसे पहले फरवरी, 2020 में दायर एक रिट याचिका में और फिर नवंबर, 2020 में दायर एक रिट याचिका करके किया गया। इसके बाद ही याचिकाकर्ता एसोसिएशन द्वारा ऋण धोखाधड़ी से संबंधित आरोप लगाए गए। जाहिर तौर पर, याचिकाकर्ता को सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त था, यही कारण है कि 22.01.2021 को माननीय मंत्री द्वारा पुलिस आयुक्त को शिकायतें दर्ज करने और सरकार को रिपोर्ट करने का निर्देश जारी किया गया था।

18. ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 के अंतरिम आवेदन संख्या 1 में 2020 के डब्ल्यू. पी. संख्या 21975 में याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 (अर्थात् तेलंगाना राज्य, केंद्रीय रजिस्ट्रार, रिटर्निंग ऑफिसर) को निर्देश देने की प्रार्थना की थी और बैंक का प्रबंधन पुलिस/जांच एजेंसियों की मदद से गहन जांच करेगा। विद्वान न्यायाधीश, जिन्होंने संबंधित रिट याचिकाओं में अन्य आवेदनों के साथ इस अंतरिम आवेदन संख्या की सुनवाई की, ने केवल आदेश दिया (08.01.2021 को), उक्त आवेदन में 02.02.2021 तक नोटिस वापस किया जा सकता है।

19. याचिकाकर्ता द्वारा 03.02.2021 को दायर की गई अगली रिट याचिका डब्ल्यू. पी. संख्या 2724/2021 में (उच्च न्यायालय के दिनांक 08.01.2021 के आदेश के अनुसार परिणाम घोषित होने के बाद), याचिकाकर्ता ने फिर से अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की कि निर्वाचित बोर्ड को इस आधार पर निलंबित करें कि बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी, धोखाधड़ी और जालसाजी और दस्तावेजों की जालसाजी के आरोपों की पुलिस जांच चल रही है। जिस तारीख को 2021 का डब्ल्यू. पी. संख्या 2724 दायर किया गया था, अर्थात् 03.02.2021 कोई प्राथमिकी लंबित नहीं थी, लेकिन याचिकाकर्ता को अपनी रिट याचिका में ऐसा बयान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, समर्थन के कारण कि वे सुरक्षित करने में सक्षम थे माननीय मंत्री जी दिनांक 22.01.2021, दूसरी रिट याचिका में भी कोई अंतरिम आदेश सुरक्षित करने में विफल रहने के बाद ही याचिकाकर्ता द्वारा 19.02.2021 को मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायतें दायर की गई।

20. इसलिए, यह स्पष्ट रूप से एक चुनावी विवाद था जिसे आपराधिक मामले में बदलने की मांग की गई थी। अक्सर चुनावी विवाद अलग अलग क्षेत्रों में लड़े जाते है, जैसे मतदान केंद्र, पुलिस स्टेशन और अदालत कक्ष। कभी-कभी, जो व्यक्ति इन विवादों को उठाते है वे उच्च नैतिक ताने-बाने और मजबूत कानूनी सामग्री वाले शब्दों के जरिए अपने वास्तविक मकसद को छिपाने में कामयाब हो जाते है। लेकिन दुर्भाग्य से, याचिकाकर्ता इस मामले में इसे सफलातपूर्वक नहीं कर सका, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा ऋण धोखाधड़ी के आरोपों पर वापस आने से पहले चुनावी विवाद अदालत में आ गए थे। सौभाग्य से, उच्च न्यायालय ने खेल को देखा, यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की गिरफ्तारी सहित आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की असाधारण राहत दी। तथ्य इतने स्पष्ट हैं कि और पृष्ठभूमि इतनी चौंकाने वाली है कि उच्च न्यायालय ने इसे प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को अंतरिम राहत देने के लिए सही और उचित मामला पाया।

21. तथ्यात्मक पहलुओं को देखने के बाद आइए अब हम कानून के उन तीन प्रश्नों से निपटें जिन पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरशोर से आवाज उठानी चाही।

22. जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ठीक ही बताया है, निहारिका (सुप्रा) ने निश्चित रूप से उच्च न्यायालय को यहां दिए गए प्रकृति के अंतरिम आदेश को पारित करने की अनुमति दी, ‘‘सावधानी और सावधानी के साथ असाधारण मामलों में, संक्षिप्त कारण'' निहारिका (उपरोक्त) में जिस बात पर नाराजगी जताई गई है, वह यह है कि अदालतों द्वारा अस्पष्ट बिना बोले आदेश पारित करने की प्रवृत्ति है, जिसमें कहा गया है कि ''कोई भी बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा।'' निहारिका (सुप्रा) में रिपोर्ट के कंडिका 60 में, इस न्यायालय ने माना कि अभियुक्त पर दबाब डालने की दृष्टि से, कानून की प्रक्रिया के दुरूपयोग, एक नागरिक विवाद को आपराधिक विवाद में परिवर्तित करने के आरोप हो सकते है। इन याचिकाओं में दिए गए आदेश में, उच्च न्यायालय ने विस्तृत कारण दिए हैं कि चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित कार्यवाही के दौरान बैंक धोखाधड़ी के आरोप कैसे विकसित हुए। अतः आक्षेपित आदेश की निहारिका सिद्धांतों के आलोक में बुरा नहीं कहा जा सकता।

23. वास्तव में, निहारिका हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 पूरक (1) एससीसी 335) मामले चर्चित फेसले में निर्धारित मापदंडों को दोहराती है। भजन लाल (सुप्रा) में विकसित प्रमुख सिद्धांतों में से एक कंडिका 102 (7) में पाया गया है :

''जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है'' निहारिका में निर्णय के कंडिका 37 में, भजन लाल से उपरोक्त अंश लिया गया है। वास्तव में भजन लाल (सुप्रा) ने शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य (1987 1 एससीसी 288) मामले में भगवती, मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर ध्यान दिया कि ''एक आपराधिक मुकदमा, यदि अन्यथ उचित है और पर्याप्त सबूतों पर आधारित है, तो इसके कारण खराब नहीं होता है प्रथम सूचना देने वाले या शिकायतकर्ता की दुर्भावना या राजनीतिक प्रतिशोध।'' फिर भी भजन लाल (सुप्रा) ने कंडिका 102 में सात सिद्धांत दिए जिसमें से आखिरी सिद्धांत हमने उपर निकाला है। भजन लाल (दो सदस्यीय पीठ) के कंडिका 102 में प्रतिपादित सात सिद्धात वास्तव में निहरिका (तीन सदस्यीय पीठ) में अनुमोदन के साथ उद्धृत किए गए है।

24. वास्तव में, सिविल रिट कार्यवाही में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अंतरिम प्रार्थनाओं में से एक फोरेंसिक ऑडिट के संचालन के लिए है। उक्त प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए प्रकृति के आरोपों को फॉरेंसिक ऑडिट के बिना अंकित मूल्य पर नहीं लिया जा सकता है और अदालत याचिकाकर्ता के बिना प्रमाण के बल देकर कहने के आधार पर नहीं चल सकती है।

25. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क देना पूरी तरह से गलत है कि उच्च न्यायालय सिविल रिट कार्यवाही की लंबितता से प्रभावित था। उच्च न्यायालय ने वास्तव में उस तरीके पर ध्यान दिया जिसमें फरवरी 2020 से फरवरी 2021 तक पूरी कार्यवाही का रंग बदल गया और यह उस पृष्ठभूमि में है कि विद्वान न्यायाधीश ने सिविल कार्यवाही की लंबितता और आरोपों के एक ही समय पर होना पाया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता मोहम्मद अलाउद्दीन खंड (सुप्रा) एंव के. जगदीश (सुप्रा) के अनुपात से लागू करने के लिए दबाब नहीं दे सकता है।

26. एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में भी निर्णय याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं जाएगी क्योंकि विवादित आदेश में बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 की धारा 84 का संदर्भ केवल सदस्यों के प्रवेश से संबंधित आरोपों से निपटने के सीमित उद्देश्य के लिए है।

27. इसलिए हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने यहां प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना पूरी तरह से उचित ठहराया था कि पुलिस के अधिकार द्वारा मतपत्र की सर्वोच्चता को नुकसान न पहुंचे। इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। नतीजतन, स्थगन के लिए आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं और पहले दिया गया स्थगन रद्द कर दिया जाता है। स्थगन आवेदनों को खारिज किए जाने के मद्देनजर रिक्त स्थगन याचिकाएं बंद कर दी गई है।

यशवंत प्रकाश

विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की गई